"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 582] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2015— पौष 10, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच(71). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-68/2007/वाक/पांच (34), दिनांक 24-05-2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगी, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(क) अनुक्रमांक 1 एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये; और

(ख) क्रमश: अनुक्रमांक 3 एवं 4 के कॉलम (3) में, अंक तथा चिन्ह "7.5%" के स्थान पर, अंक तथा चिन्ह "10%" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (71). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10/48/2015/वाक/पांच (71), दिनांक 31-12- 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st December 2015

NOTIFICATION

No. F-10/48/2015/CT/V (71) . — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-10-68/2007/CT/V (34), dated 24-05-2007 with effect from 1st January, 2016, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification,-

(a) Serial number 1 and entries relating thereto shall be omitted; and

(b) In column (3) of serial number 3 and 4 respectively, for the figure and symbol "7.5%", the figure and symbol "10%" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (72). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-68/2007/वाक/पांच(36), दिनांक 24-07-2007 को 1 जनवरी, 2016 से समाप्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (72). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/48/2015/वाक/पांच (72), दिनांक 31-12- 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st December 2015

NOTIFICATION

No. F-10/48/2015/CT/V (72). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, revokes this Department's Notification No. F-10-68/2007/CT/V (36), dated 24-07-2007 with effect from 1st January, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.